क्षेत्रीय कार्यालय उ0प्र0 पदूशण नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय जनपद–बांदा की पर्यावरणीय आख्या का विवरण

अध्याय–1

प्रस्तावना–

जनपद बाँदा उ0प्र0 राज्य के दक्षिण–पूर्वी सीमा पर मध्य प्रदेश राज्य की सीमा के पास स्थित है जिसके उत्तर दिशा में यमुना नदी एवं जनपद फतेहपुर उत्तर पश्चिम दिशा में जनपद हमीरपुर पश्चिम दक्षिण दिशा मे जनपद महोबा दक्षिण दिशा मे मध्यप्रदेश राज्य मे स्थित जनपद सतना, दक्षिण पूर्व, दिशा में जनपद चित्रकूट स्थित है बाँदा जनपद का नाम बामदेव ऋषि के नाम पर पडा है यह तपस्वियों/ऋषियों, मुनियो की तप्य स्थली भी थी। माता अनुसूईया ने भी यहाँ कुछ समय बिताये थे। इसके अतिरिक्त नबाब अली हैदर की यह राजधानी भी रही है–

जनपद का कुल क्षेत्रफल 668 वर्ग कि0मी0 है जिसमें 4 तहसील क्रमशः बांदा, अतर्रा, बबेरू,एवं नरैनी है। इसमें राजस्व आबादी 650 एवं गैर आबादी 111 है। जनपद में 8 विकास खण्ड है बड़ोखर खुर्द,जसपुरा ,तिन्दवारी,नरैनी, बबेरू, महुआ, बिसण्डा, कमासिन एवं मटौंध है। जनपद में दो मुख्य नदियाँ यमुना ,केन है इनके अतिरिक्त बागे आदि नदियाँ हैं यमुना नदी तहसील बाँदा ,बबेरू से केन नदी तहसील नरैनी एवं बांदा से होकर बहती है,बागे एवं रेन्ज नदी नरैनी एवं अतर्रा तहसील के क्षेत्र के किनारे कुछ भाग को प्रभावित करती है। उक्त के अतिरिक्त चन्द्रावल नदी ,सहेवा नाला ,गहरा नाला, पिपरा नाला ,रियास नाला ,उमरा नाला आदि भी मानसून/बाढ़ के समय जनपद को प्रभावित करते हैं।

जनपद बांदा के प्रसिद्ध स्थल निम्नवत हैं–

1. **बांदा–** यह जनपद एवं चित्रकूट धाम कर्वी मण्डल का मुख्यालय है। बाँदा जनपद का नाम बामदेव ऋषि के नाम पर पड़ा है यह तपस्वियों/ऋषियों, मुनियो की तप्य स्थली भी थी। माता अनुसुईया ने भी यहा कुछ समय बिताये थे। इसके अतरिक्त नबाब अली हैदर की यह राजधानी भी रही हैं–
2. **पैलानी–** यह एक बड़ा कस्बा है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोग तैरने में निपुण थे। इसलिये पहले पैरानी ,फिर पैलानी हुआ।
3. **कालिंजर–** यह नरैनी तहसील का ऐतिहासिक स्थल हैं यहाँ लगभग 200 फीट ऊँचे पहाड़ का सात फाटक का एक प्राचीन किला है। यह एक पवित्र स्थान है।
4. **गूढ़ाकला–** यहाँ हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है। पवित्र तथा प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ दूर–दूर के लोग दर्शन करने व लड्डू चढ़ाने के लिये आते है।
5. **चिल्ला–** इस स्थान पर केन व यमुना नदी का संगम है। यहाँ 14 जनवरी से 31 जनवरी तक मेला लगता है।

औद्योगिक परिदृ□य– जनपद बांदा में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र भूरागढ़ एवं राजकीय औद्योगिक अस्थान बांदा में स्थित है। जिनका विवरण क्रमशः निम्नवत है–

1. **यू0पी0एस0आई0डी0सी0 द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्र भूरागढ़–**

औद्योगिक क्षेत्र भूरागढ़ का क्षेत्रफल 99 एकड़ है। जिसमें कुल प्लाट सं0 174 है। जिसमें 140 प्लाट आवंटित किये जा चुके है। जिसमें से 8 इकाईयां स्थापित एवं संचालित है तथा 8 इकाईयां निर्माणाधीन हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य सीमेंण्ट प्लांट की परियोजना लगभग 35 एकड़ क्षेत्र में विकसित किये जाने हेतु प्रस्तावित होने की संभावना है।

2. औद्योगिक अस्थान पुलिस लाइन के सामने बांदा जिसका क्षेत्रफल लगभग 8.86 एकड़ है जिसमें 14 भूखण्ड एवं 8 सेड चिन्हित किये गये हैं। इनमें से 12 भूखण्ड एवं 8 सेडों में उद्योग स्थापित कर संचालन का कार्य किया जा रहा है।

उक्त के अतिरिक्त जनपद–बांदा में कोई भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं किया गया है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव बोर्ड के संज्ञान में है।

जनपद बांदा में स्थित तहसील नरैनी एवं अतर्रा में लघु श्रेणी के राइस मिल स्थापित हैं जिनमें से अधिकाशं राइस मिलें स्वतः कारणों से बन्द चल रहीं है तथा जनपद के नरैनी तहसील के अन्तर्गत स्थित है। ग्राम–पनगरा ,गिरवाँ, के सन्निकट छुटपुट लघु श्रेणी के स्टोन क्रेसर्स स्थापित एवं संचालित है। इसीप्रकार जनपद के मटौध क्षेत्र में भी लघु श्रेणी के स्टोन क्रेसर्स स्थापित एवं संचालित है। जनपद बांदा में वर्तमान समय तक कोई भी मध्यम/वृहद श्रेणी का उद्योग स्थापित नहीं किया गया है।

अध्याय–2

जल प्रदूशण

जनपद बांदा में जल प्रदूषणकारी उद्योग स्थापित एवं संचालित नहीं है। इसके कारण यहाँ पर औद्योगिक जल प्रदूषण की समस्या नगण्य है। घरेलू प्रवाह के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि बांदा शहर का जल–मल बिना शोधन के ही वर्तमान समय में निस्तारित किया जा रहा है। उक्त के शोधन हेतु किसी प्रकार का सीवेज उत्प्रवाह संयत्र(एस0,टी0,पी0) स्थापित नहीं किया गया है और न ही इसकी स्थापना के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्थानीय निकाय से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और न ही इस सम्बन्ध में सम्बन्धित स्थानीय निकाय से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जनपद बांदा में प्रमुख रूप से केन ,यमुना ,बागे एवं रेन्ज नदियाँ प्रवाहित होती है। इनमें से केन एवं यमुना नदी की गुणवत्ता की जांच हेतु नमूने एकत्रित किये जाते है। इनमें से मात्र केन नदी के अप एवं डाउन स्टीम से नमूने एकत्रित कर विश्लेषण हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशाला उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड झाँसी को माह अगस्त 2013 से प्राप्त कराया जा रहा है। सम्बन्धित विश्लेषण आख्यायें इस कार्यालय को अप्राप्त है। इसके पूर्व उपरोक्त सम्बन्धित नदी की जल गुणवत्ता की जांच हेतु एकत्रित किये गये नमूने एवं एकत्रित जांच क्षेत्रीय कार्यालय झाँसी से की जाती रहीं हैं। उक्त से सम्बन्धित विश्लेषण आख्यायें इस कार्यालय में अप्राप्त है।

अध्याय–3

वायु प्रदूशण

जनपद बांदा में वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत प्रमुख रूप से स्टोन क्रेशर्स, वाहनो से उत्सर्जित वायु एवं विद्युत अनापूर्ति की स्थिति में संचालित किये जाने वालें डी0जी0 सेट से उत्सर्जित वायु है।

1. **स्टोन के□र्स**– जनपद में स्टोन क्रेसर्स अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित एवं संचालित है। जिनके संचालन सं उत्सर्जित वायु के नियंत्रण हेतु कवर्ड टिन सेड/चैम्बर, खापा एवं वेट स्क्रवर(वाटर स्प्रिंकलिंग सिस्टम की व्यवस्था स्थापित एवं संचालित है। अधिकांशतः ऐसे स्टोन क्रेशर्स आबादी से दूर क्षेत्रों में स्थापित हैं। कहीं भी क्लेस्टर के रूप में स्थापित नहीं है।

2. **वाहनों से उत्सर्जित प्रदूशण**– जनपद बांदा के शहरी क्षेत्रों के आवागमन से वाहनों के परिवहन से वायु प्रदूषण उत्सर्जित होता है। जिसके नियंत्रण हेतु जनपद बांदा में बाईपास रोड़ निर्माणाधीन हैं। जिसका कार्य पूर्ण होने के उपरान्त विशेंष रूप से भारी वाहनों का परिवहन बाईपास मार्ग द्वारा होने के कारण शहरी क्षेत्र में वाहनों से जनित वायु प्रदूषण के उत्सर्जन में कमी आयेगी। जिसके कारण प्रभावी नियंत्रण किया जाना संभव होगा।

3. **डी0जी0 सेटो के संचालन से उत्सर्जित वायु प्रदूशण का नियंत्रण–** जनपद बांदा के शहरी क्षेत्रों में विद्युत अनापूर्ति के समय संचालित किये जा रहे डी0जी0 सेटों से उत्सर्जित वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु मानको के अनुसार निर्धारित ऊँचाई के एग्जास्ट स्टैक एवं एक्वास्टिक इन्क्लोजर/कैनोपी की स्थापना हेतु सम्बन्धित को नोटिस प्रेषित कर निर्देशित किया गया हैं इसके अतिरिक्त शहर में यदि विद्युत आपूर्ती पर्याप्त समय हेतु की जाती है तो जिसके फलस्वरूप उक्त स्रोत से जनित ध्वनि/वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाना संभव होगा।

जनपद बांदा में नवसृजित क्षेत्रीय कार्यालय बांदा में वर्तमान समय में प्रयोगशाला का सृजन नहीं किया गया है। जिसके कारण औद्योगिक उत्सर्जन/परिवेशीय वायु उत्सर्जन के गुणवत्ता की जांच से सम्बन्धित कार्यवाही संभव नहीं हो पा रही है। इस क्षेत्रीय कार्यालय सृजन के पूर्व क्षेत्रीय कार्यालय झाँसी द्वारा सम्बन्धित वायु गुणवत्ता की जांच का कार्य किया जा रहा था।

जनपद बांदा में स्वच्छ ईधन/सी0एन0जी0 आपूर्ति हेतु (आउटलेट फीलिंग स्टेशन्स) स्थापित नहीं किये गये है और न ही इसकी स्थापना के सम्बन्ध में कोई भी प्रस्ताव संज्ञान में आया है।

अध्याय–4

परिसंकटमय अपशिष्ट, ई–वेस्ट निस्तारण की स्थिति–

जनपद बांदा में परिसंकटमय अपशिष्ट जनित कोई भी उद्योग चिन्हित नहीं किये गये हैं। इसके अतरिक्त ई–वेस्ट जनित करने वाला कोई भी उद्योग/संस्थान वर्तमान समय में चिन्हि नहीं किया गया हैं। उक्त के चिन्हिकरण की प्रक्रिया विचाराधीन है। उक्त से सम्बन्धित सूचनायें अप्राप्त हैं।

अध्याय–5

नगरीय ठोस अपशिष्ट–

जनपद बांदा में स्थानीय निकायों से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन एवं हथालन नियम 2008 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। जनपद बांदा में 8 स्थानीय निकाय चिन्हित किये गये हैं जिनमें से बांदा एवं अतर्रा नगरपालिका परिषद तथा शेष ओरन ,नरैनी ,बबेरू ,बिसण्डा ,मटौंध एवं तिन्दवारी नगर पंचायते हैं इनमें से किसी भी नगरीय ठोस अपशिष्ट के उपयुंक्त एकत्रण परिवहन एवं निस्तारण की उपयुक्त व्यवस्था नहीं की गई है। इन समस्त स्थानीय निकायों से जनित ठोस अपशिष्ट को अनियंत्रित रूप में उपचारित किये बिना निस्तारित किया जाता हैं। नगर पालिका परिषद बांदा से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु स्थल का चिन्हीकरण का कार्य विचाराधीन है।

अध्याय–6

जीव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण की स्थिति–

जनपद बांदा में जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 1998 एवं यथासंशोधित के अन्तर्गत 10 चिकित्सा संस्थान/अस्पताल/नर्सिगं होम/पैथालॉजी का चिन्हीकरण किया गया है। इनकी क्षमतायें 50 बेड से कम की है। इनमें से अधिकांश संस्थान सामूहिक जीव चिकित्सा अपशिष्ट निस्तारण व्यवस्था मैसर्स एम0पी0सी0सी0,कानपुर से सम्बद्ध है। शेष चिकित्सा संस्थानों से उक्त नियम के अनुपालन कराये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा सम्बन्धित को नोटिस प्रेषित कर निर्देशित किया गया है तथा सम्बन्धित कार्यवाही हेतु व्यक्तिगत प्रयास भी किया जा रहा है।

अध्याय–7

प्लास्टिक वेस्ट नियम के अनुपालन की स्थिति–

जनपद बांदा में वर्तमान समय में कोई भी संस्थान उक्त नियम के अन्तर्गत आच्छादित/चिन्हित नहीं किया गया है। सम्बन्धित चिन्हीकरण की प्रक्रिया विचाराधीन है।

अध्याय–8

ध्वनि नियम के अनुपालन की स्थिति–

नवसृजित क्षेत्रीय कार्यालय बांदा में ध्वनि उत्सर्जन मापन से सम्बन्धित कोई भी संयत्र उपलब्ध नहीं कराया गया है। जिसके अभाव के कारण सम्बन्धित नियम का अनुपालन कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

अध्याय–9

जनपद में वनाच्छादित क्षेत्रफल,उद्योगों में किये गये वृक्षारोपण की स्थिति–

जनपद बांदा में स्थित संभागीय वन प्रभाग के कार्यालय से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि विभाग के अधीनस्थ वनाच्छादित क्षेत्रफल 5428 हेक्टेयर चिन्हित किया गया है। जिसमें वृक्षारोपण का कार्य सम्बन्धित विभाग द्वारा समय–समय पर शासन एवं स्थानीय प्रशासन के निर्देशानुसार किया जाता है।

उद्योगों में वृक्षारोपण किये जाने हेतु सम्बन्धित उद्योगों को इस कार्यालय द्वारा नोटिस प्रेषित कर निर्देशित किया जा चुका है। कई उद्योगों से वृक्षारोपण के सम्बन्ध में अनुपालन आख्यायें भी प्राप्त हुई है। शेष उद्योगों से वांछित अनुपालन आख्यायें अपेक्षित हैं उक्त हेतु आवश्यक कार्यवाही कर संकलन का कार्य किया जा रहा है।

अध्याय–10

जनपद बांदा में पर्यावरणीय दृश्टि कोण से अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु–

1. भूगर्भ जल प्रदूषण से सम्बन्धित कोई भी प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। सूचना प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कर दी जायेगी।
2. रेमिडियेशन परियोजना से सम्बन्धित कोई भी प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। सूचना प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कर दी जायेगी।
3. पर्यावरण संरक्षण हेतु किये जा रहे अन्य कार्य– इस कार्यालय द्वारा जनपद बांदा में सैण्ड/मोरम माइनिंग से सम्बन्धित (पर्यावरण संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना सं0 एस0ओ01533(अ) दिनांक–14.09.2006 यथा संशोधित एस0ओ03067(ई) दिनांक–01.12.2009 के प्राविधानों के अनुपालन में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई का आयोजन जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में करायी जा रही है। जिसकी कार्यवृत्त वांछित प्रपत्रों के साथ बोर्ड मुख्यालय को यथाशीध्र प्रेषित की जा रही है। उक्त परियोजनाओं के क्रियान्वयन के उपरान्त जनपद बांदा में बाढ़ जैसी समस्या से निजात पाने में सफल होना संभव हो सकेगा।

अध्याय–11

अत्यधिक प्रदूशित स्थल/नाले/नादियाँ जहाँ पर उद्योग प्रदूशणकारी प्रतिकियाओं को अनुमति न दी जानी हो (कारण सहित)–

जनपद बांदा में ऐसा कोई स्थल/नाले/नदियाँ संज्ञान में नहीं आयी हैं जिनमें प्रदूषण की विशेष समस्या व्याप्त हो।

अध्याय–12

मानचित्र–नदियों ,औद्योगिक क्षेत्र द[illegible]ाते हुये मास्टर प्लान मानचित्र–

जनपद बांदा में वर्तमान समय में यमुना,केन एवं अन्य सहायक नदियों में बाढ़ के कारण स्थानीय प्रशासनों से सम्बन्धित मानचित्र एवं मास्टर प्लान मानचित्र प्राप्त किया जाना सभंव

नहीं हो पा रहा है। उक्त की प्राप्ति के उपरान्त यथा शीघ्र अपेक्षित कार्यवाही कर सूचना प्रेषित कर दी जायेगी।

अध्याय–13

अन्य–जैसे किस विशय पर प्राथमिकता पर ध्यान देने की आव□यकता है–

नवसृजित क्षेत्रीय कार्यालय बांदा में आच्छादित जनपद बांदा ,चित्रकूट एवं हमीरपुर हैं जो कि चित्रकूट धाम मण्डल के प्रमुख जनपद है। बांदा में जनपद एवं मण्डल मुख्यालय है। जिसके सन्निकट मण्डल का प्रमुख औद्योगिक जनपद महोबा की मण्डल मुख्यालय से दूरी लगभग 55 कि0मी0 है तथा क्लेस्टर के रूप में विकसित औद्योगिक क्षेत्र कबरई(महोबा) की जनपद/मुख्यालय से दूरी लगभग 35 कि0मी0 है। जनपद बांदा लगभग औद्योगिक विहीन क्षेत्र है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय कार्यालय बांदा के पोटेंसियल में सकारात्मक वृद्धि एवं नवसृजित क्षेत्रीय कार्यालय की उपयोगिता हेतु जनपद महोबा को नवसृजित क्षेत्रीय कार्यालय में समायोजित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अन्यथा उक्त के अभाव में इस नवसृजित क्षेत्रीय कार्यालय के आय व्यय पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तथा सन्निकट स्थित औद्योगिक क्षेत्र कबरई(महोबा) पर विहित प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों का अनुपालन भी समुचित रूप से किया जाना संभव नहीं होगा।